

हायरी संख्या 2087  
दिनांक 19/6/17 लखनऊ

उत्तर प्रदेश शासन  
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1  
संख्या-1692/सत्ताईस-1-2017-25/16  
लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2017

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के श्री नगेश कुमार शर्मा, मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-2 को मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-1 के पद पर वेतन बैंड-4 रू0 37,400-67,000 ग्रेड पे रू0 10,000 में कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 02.05.2017 से नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त अभियन्ता की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

सुरेश चन्द्रा  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1692 (1)/सत्ताईस-1-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 3- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन/प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 9- समस्त अनुभाग।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राम चन्द्र यादव)  
संयुक्त सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या: सीजी-67/ई-1,

दिनांक: लखनऊ: 15 जून, 2017

शासनादेश संख्या: 1692/सत्ताईस-1-2017-25/16, दिनांक-15.6.2017 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, 30 प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता, परि० एवं नियो०/परियोजना, सिं० वि०, 30 प्र०, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, स्तर-1/2, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी०ए०सी०, लोक निर्माण विभाग/ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
6. सम्बन्धित अधिकारीगण।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जॉब), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिं०वि०, 30 प्र०, लखनऊ।
11. वैयक्तिक सहायक (का० प्र० अनु०-1), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (ई-3)/प्रशासनिक अधिकारी (ई-1)।
13. महासचिव, 30 प्र० अभियन्ता संघ, 96-महात्मा गांधी मार्ग, (कार्यालय लोक निर्माण विभाग, 30 प्र०), लखनऊ।

(एस० एन० शर्मा 17)  
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3)